न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 01/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/91

1. किशोरीलाल बनाम बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 10 डीओएल तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र किशोरीलाल जाति बिश्नोई निवासी 10 डीओएल तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.
2. इन्द्रा पत्नी राजेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी 10 डीओएल तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.
3. विक्रम पुत्र राजेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी 10 डीओएल तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :—

1. अपीलार्थी उपस्थित
2. प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 3 उपस्थित
3. प्रत्यर्थी सं. 2 एकपक्षीय

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना के द्वारा प्रकरण किशोरीलाल बनाम राजेश कुमार प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। अपील दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 उपस्थित। प्रत्यर्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब/लिखित कथन प्रस्तुत नहीं हुआ। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख/पत्रावली तलब की गयी।
2. अपीलार्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी वृद्ध व वरिष्ठ नागरिक हैं स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकता हैं। प्रार्थी के नाम से चक 12 डीओएल तहसील रावला का प.नं. 35/44 में 3.467है. व प.नं. 35/48 में 2.024है. कुल 5.491है. भूमि थी। अप्रार्थीगण प्रार्थी की सेवा नहीं करते। पूर्व में अपीलार्थी के बीमार होने पर उसकी दशा का फायदा उठाते हुए प्रार्थी की चक 12 डीओएल तहसील रावला का प.नं. 35/44 में 3.467है. भूमि में से इन्द्रा के पक्ष में 1.721है. व विक्रम के पक्ष में 1.746है. रकबा का दान पत्र तहरीर उप पंजीयक 365 हैड से दिनांक 03.06.2021 को पंजीकृत करवा लिया। उक्त भूमि प्रार्थी के भरण पोषण का एकमात्र जरिया थी। भूमि का इन्तकाल होने के बाद प्रार्थी के साथ मारपीट करके घर से बेदखल कर दिया। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर भूमि का उपहार पत्र निरस्त करने और 20000 रूपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिलाए जाने हेतु निवेदन किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णय पारित कर मात्र 3000 रूपये तीनों अप्रार्थीगण से संयुक्त रूप से प्रार्थी को दिए जाने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार कर दान पत्र दिनांक 03.06.2021 को निरस्त करने तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय में तय भरण पोषण राशि को बढ़ाने हेतु निवेदन किया।
3. प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 ने निवेदन किया कि उन्होंने प्रार्थी/अपीलार्थी से कभी मारपीट नहीं की ना ही उन्हें घर से कभी निकाला हैं। वे प्रार्थी को अपने साथ ले जाने को तैयार हैं। वे उनकी देखभाल भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। प्रार्थी का एक अन्य लड़का भी हैं जिसे भी प्रार्थी द्वारा भूमि दी गयी हैं। परन्तु भरण पोषण

राशि केवल अप्रार्थीगण से चाही गयी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं अपील गलत आधार पर पेश की गयी हैं। अपील खारिज करने के लिए निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 15.07.2024 को प्रार्थना पत्र लिखित बहस मय दस्तावेज प्रस्तुत कर लिखित बहस रिकार्ड पर लिये जाने के लिए निवेदन किया। न्यायहित में लिखित बहस व दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना द्वारा अपने निर्णय द्वारा यह माना है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारि कारणों आपसी मनमुटाव होने से पारिवारिक सामजस्य का अभाव के कारण से प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक साथ रहने एवं रखने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसके आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रार्थी को भरण पोषण के लिए 3000 रूपये राशि अप्रार्थीगण से दिलाए जाने का निर्णय पारित किया गया हैं।

5. प्रार्थी द्वारा प्रकरण में निवेदन किया जा रहा हैं उनके द्वारा उपहार में दी गयी भूमि का उपहार पत्र शून्य घोषित कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे। साथ ही प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया हैं कि उपहार पत्र उनकी बीमारी की अवस्था का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीण द्वारा तहरीर व पंजीबद्ध करवाया गया हैं। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपहार पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेज उपहार पत्र उप पंजीयक 365 हैड से पंजीबद्ध हैं। अपीलार्थी का यह कथन करना कि उपहार पत्र उन पर दबाव बनाया जाकर डरा धमकाकर एवं फुसलाकर निष्पादित करवाया गया है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्र में अंकित किया हैं तो वे इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय के मत में उक्त उपहार पत्र को निरस्त कर भूमि पुनः प्रार्थी/अपीलार्थी का दिलाए जाने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

6. अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया हैं कि वे प्रार्थी/अपीलार्थी को अपने साथ रखने एवं सेवा चाकरी करने को तैयार हैं। परन्तु प्रार्थी द्वारा उनके साथ रहने से इंकार किया गया हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि पक्षकारों के मध्य पारिवारिक मनमुटाव होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण से अलग रहवास कर रहा हैं तथा प्रार्थी/अपीलार्थी वृद्ध वरिष्ठ नागरिक हैं जो स्वयं अपनी आजीविका का अर्जन करने में असमर्थ हैं। ऐसे में प्रार्थी/अपीलार्थी को जीवन निर्वाह हेतु अप्रार्थीगण से समुचित पर्याप्त राशि दिलाई जानी उचित हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा 3000 रूपये की राशि निर्धारित की गयी थी। परन्तु न्यायालय के मत में उक्त राशि को बढ़ाया जाना न्यायोचित हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2024 की पुष्टि करते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाई जाने वाली राशि 3000 रूपये से बढ़ाई जाकर 6000 रूपये की जाती हैं। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता हैं कि वे आगामी माह अगस्त 2024 से प्रति माह की पांच तारीख से पूर्व अपीलार्थी/प्रार्थी के बैंक पीएनबी शाखा 365 हैड के बचत खाता सं. 2624000100009226 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना तथा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अनूपगढ़ तथा पक्षकारान को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.